मराठाकालीन शासन व्यवस्था 1741 - 1854

भोंसला वंश के शासकों ने 1741 से 1854 तक छ.ग. में शासन किया। इन्होंने कल्चुरी शासकों की शासन व्यवस्था में परिवर्त कई नवीन प्रशासनिक व राजनैतिक नीतियों को लागू किया।

■ **प्रशासन**– भोंसला शासकों के द्वारा सूबा शासन परगना पद्धति को छ.ग. में लागू किया। इस समय प्रशासनिक क्षेत्र को दो भाग गया था – 1. **खालसा क्षेत्र** – यह क्षेत्र मराठा शासन के **प्रत्यक्ष नियंत्रण** (प्रशासकीय) में था। |CG PSC (Pre
2. **जमींदारी क्षेत्र** – इन क्षेत्रों में जमींदारों का नियत्रण था।

■ प्रशासनिक अधिकारी

भोंसला शासकों ने अपना शासन संचालित करने के लिए अनेक अधिकारियों की नियुक्ति की। इन पदों का विवरण इस प्रका

पदाधिकारी	विवरण
सूबेदार	• सूबा शासन का सर्वोच्च अधिकारी, जो भोंसला शासकों के प्रतिनिधि के रूप में शासन करता • यह **सैनिक, दीवानी व फौजदारी** मामले के विभागों का प्रमुख होता था। ☆
कमाविसदार	• परगना का **सर्वोच्च अधिकारी, जो सूबेदार के प्रति उत्तरदायी** होता था। |CG PSC (ADS) • अपने क्षेत्र में शांति सुरक्षा के साथ-साथ राजस्व वसूली जैसे कार्यों का निर्वहन करता था। • नागरिक सैनिक एवं वित्तीय दायित्वों का वहन। |CG PSC (ADS)
मौटिया	• यह ग्रामीण स्तर पर सर्वोच्च पद था। |CG PSC (EAP) • जिसका प्रमुख कार्य ग्रामीण शासन का संचालन था। • यह एक कल्चुरीकालीन पद था जो मराठा काल में भी यथावत् बना रहा। |CG PSC (Mains)
पटेल	• मराठाकाल में सृजित नया पद जो लगान के निर्धारण व वसूली में सहायता करता था। ☆
फड़नवीस	• परगने के आय-व्यय का हिसाब करने वाला सर्वोच्च लेखा अधिकारी। |CG PSC(EAP)2016(CMO)
बरार पाण्डे	• यह प्रत्येक गांव की कृषि उत्पादकता के आधार पर लगान का निर्धारण करता था। ☆
पढरीपाण्डे	• मादक द्रव्य से होने वाली आय का हिसाब रखने वाला अधिकारी। ☆
पोतदार	• परगने के आय-व्यय का हिसाब रखना। |CG PSC(CMO)2 • यह खजांची के रूप में कार्य करता था।
बड़कर	• लगान संबंधित दस्तावेज तैयार करना। |CG PSC(CMO)20 • परगने की सामान्य स्थिति की सूचना देना। |CG PSC (EAP) 20

Scanned with CamScanner

कर व्यवस्था – भोंसला शासकों की आय का प्रमुख स्त्रोत भूमिकर था। इसके अलावा निम्नांकित कर भी लिये जाते थे :–

कर (Tax)	विषय	
टकोली (Takoli)	जमींदारों से लिया जाने वाला वार्षिक कर/वार्षिक नजराना।	
सायर (Sair)	आयात निर्यात कर (Tax on the sales of goods)	[CG PSC(ACF)2017]
कलाली	आबकारी कर/मादक पदार्थों और शराब के विक्रय के लिए लाइसेंस शुल्क	[CG PSC(ACF)2017]
पंडरी (Pandri)	गैर कृषि मदों से लिया जाने वाला कर	[CG PSC(ACF)2017]
सेवई (Sewai)	यह कई अस्थायी करों का सामूहिक नाम था (अर्थदण्ड या जुर्माना राशि)	[CG PSC(ACF)2017]
जमींदारी कर	यह आयात किये हुए अनाज पर लगाया गया कर था।	

मराठाकालीन भूमिदान

नामकरण	अर्थ	
मोसाका	ब्राम्हणों को दान दिया गया ग्राम से है।	[CG PSC(Pre)2019] [CGVyapam(FNDM)2019]
धर्मदाय	धर्म के नाम पर दान दिया गया गांव।	[CG PSC(Pre)2019]
देवस्थान	मंदिर के नाम पर दान दिया गया गांव।	[CG PSC(Pre)2019]

छत्तीसगढ़ में ताहूतदारी व्यवस्था

सैण्डिस -- लोरमी (1826), तरेंगा (1828)

मराठा काल – सिरपुर (1843), लवन (1848)

चार्ल्स इलियट – संजारी (1858), खल्लारी (1858), सिहावा (1858)

– उपरोक्त तीनों ताहूतदारियां 1854के बाद निर्मित है।

नोट –

मराठा काल में विद्रोह – धमधा, बरगढ़, तारापुर [CG PSC (ITI Prin.)2016]

ब्रिटिश काल में खालसा क्षेत्र – रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग [CG PSC(Pre)2016]

सलावत, उदाहुस्न, प्यारे जमादार (मुलतानी नेता) इसे "रोहिल्ला डाकू" कहते थे।

मुद्रा – नागपुरी रूपया

प्राचीन मवेशी बाजार – रतनपुर

- मराठों ने कल्चुरियों की प्रशासनिक व्यवस्था को यथावत् जारी नहीं रखा केवल गौंटिया पद को जारी रखा। [CG PSC (Pre) 2015]
- मराठों ने छ.ग. का प्रशासन ब्रिटिशों को सौंप दिया। [CG PSC (Pre) 2015]
- मराठों ने भूराजस्व का टहशाला बंदोबस्त लागू नहीं किया था। [CG PSC (Pre) 2015]
- मराठों ने छ.ग. में इजारेदारी व्यवस्था लागू नहीं की थी। [CG PSC (Pre) 2015]
- ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायतें न्याय का कार्य करती थी। [CG PSC (ADH) 2013]
- परगना प्रमुख नायब तहसीलदार को बनाया गया।
- छत्तीसगढ़ में लाखा बांटा की प्रथा प्रचलित थी, जिसके अंतर्गत उपजाऊ खेत का उपभोग हर किसान कर सके इसकी व्यवस्था क गई थी।
- लाखा बांटा प्रथा के अनुसार हर साल किसान की भूमि बदल जाती थी।

Scanned with CamScanner

भौगोलिक पुनर्गठन

...बंगाल विभाजन के तहत संबलपुर जिले (अधीन रियासत– 1. पटना 2. सोनपुर 3. रायखोल 4. बामरा 5. कालाहांडी ... |CG PSC (
...में शामिल किया गया।

...जशपुर के 5 रियासतें – कोरिया, चांगभखार, सरगुजा, उदयपुर व जशपुर को छ.ग. में शामिल किया गया।

राजस्व व्यवस्था

...काल में राजस्व की दृष्टि से सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ को तीन भागों में बांटा था –

- ...खालसा क्षेत्र
- ...जमींदारी
- ...ताहुतदारी (लोरमी, तरेंगा, सिरपुर, लवन, सिहावा, खल्लारी और संजारी)

1854 में अंग्रेजो ने तिसाला बंदोबस्त आरंभ किया जो 8 वर्षो तक अर्थात् 1862 तक चली।

...के मालगुजारों या गौंटिया को भूस्वामित्व का अधिकार दे दिया।

...नागपुर में भूराजस्व की व्यवस्था

- 1868 मे चिस्म द्वारा (प्रथम बंदोबस्त व्यवस्था)
- 1880 मे आई.एस. बेरी द्वारा (द्वितीय बंदोबस्त व्यवस्था)

...रायपुर में भूराजस्व की व्यवस्था

- 1862 में प्रथम बंदोबस्त व्यवस्था
- 1889 में मि. फुलर द्वारा (द्वितीय बंदोबस्त व्यवस्था)
- 1897 में तृतीय बंदोबस्त व्यवस्था
- 1929 मे चौथा एवं अंतिम बंदोबस्त व्यवस्था

आय के मद

आय के केवल चार मद थे – 1. भूराजस्व 2. आबकारी 3. सायर 4. पंडरी

पुलिस व्यवस्था

प्रत्येक जिला में पुलिस अधीक्षक की नियुक्ति की गई।

1858 – पंजाब पुलिस मैनुअल छत्तीसगढ़ में लागू कर दिया गया।

1862 – पुलिस व्यवस्था में नवीन सुधार

– ड्रेस, हथियार, ड्रिल और अनुशासन के संबंध में नियम बनाए गए। कर्मचारियों को वर्दी में रहने का आदेश

रायपुर में केन्द्रीय जेल का निर्माण किया गया।

डाक व्यवस्था

- 1858 में रायपुर के डाकघर में पोस्टमास्टर के रूप में स्मिथ की नियुक्ति की गई।
- रायपुर के डाक घर में पोस्टमास्टर की पदस्थापना।
- डाक टिकट पर महारानी विक्टोरिया का चित्र अंकित होता था। जिसका मूल्य एक आना होता था।

मुद्रा व्यवस्था

- 5 जून 1855 मराठाकालीन नागपुरी रूपया बंद कर ईस्ट इंडिया कंपनी के सिक्के प्रारंभ किए गए। |C

Scanned with CamScanner

मराठाकालीन शासन व्यवस्था 1741 - 1854

भोंसला वंश के शासकों ने 1741 से 1854 तक छ.ग. में शासन किया। इन्होंने कल्चुरी शासकों की शासन व्यवस्था में परिवर्तन कर कई नवीन प्रशासनिक व राजनैतिक नीतियों को लागू किया।

■ **प्रशासन**– भोंसला शासकों के द्वारा सूबा शासन परगना पद्धति को छ.ग. में लागू किया। इस समय प्रशासनिक क्षेत्र को दो भागों में बांटा गया था – [CG PSC (Pre)2015]

1. **खालसा क्षेत्र** – यह क्षेत्र मराठा शासन के **प्रत्यक्ष नियंत्रण** (प्रशासकीय) में था।
2. **जमींदारी क्षेत्र** – इन क्षेत्रों में जमींदारों का नियंत्रण था।

■ प्रशासनिक अधिकारी

भोंसला शासकों ने अपना शासन संचालित करने के लिए अनेक अधिकारियों की नियुक्ति की। इन पदों का विवरण इस प्रकार है–

पदाधिकारी	विवरण
सूबेदार	• सूबा शासन का सर्वोच्च अधिकारी, जो भोंसला शासकों के प्रतिनिधि के रूप में शासन करता था। • यह **सैनिक, दीवानी व फौजदारी** मामले के विभागों का प्रमुख होता था।
कमाविसदार	• परगना का **सर्वोच्च अधिकारी, जो सूबेदार के प्रति उत्तरदायी** होता था। [CG PSC (ADS) 2017] • अपने क्षेत्र में शांति सुरक्षा के साथ–साथ राजस्व वसूली जैसे कार्यों का निर्वहन करता था। • नागरिक, सैनिक एवं वित्तीय दायित्वों का वहन। [CG PSC (ADS) 20
गौंटिया	• यह ग्रामीण स्तर पर **सर्वोच्च पद** था। • जिसका प्रमुख कार्य ग्रामीण शासन का संचालन था। [CG PSC (EAP) 20] • यह एक कल्चुरीकालीन पद था जो मराठा काल में भी यथावत् बना रहा। [CG PSC (Mains) 20
पटेल	• मराठाकाल में सृजित नया पद जो लगान के निर्धारण व वसूली में सहायता करता था।
फड़नवीस	• परगने के आय–व्यय का हिसाब रखने वाला सर्वोच्च लेखा अधिकारी। [CG PSC(EAP)2016(CMO)2
बरार पाण्डे	• यह प्रत्येक गांव की कृषि उत्पादकता के आधार पर लगान का निर्धारण करता था।
पंडरीपाण्डे	• मादक द्रव्य से होने वाली आय का हिसाब रखने वाला अधिकारी।
पोतदार	• परगने के आय–व्यय का हिसाब रखना। • यह खजांची के रूप में कार्य करता था। [CG PSC(CMO)
बडकर	• लगान संबंधित दस्तावेज तैयार करना। • परगने की सामान्य स्थिति की सूचना देना। [CG PSC(CMO [CG PSC (EAP)

पदाधिकारी विशेष

- छत्तीसगढ़ में प्रथम मराठा शासक – बिम्बाजी भोंसले
- छत्तीसगढ़ में प्रथम सूबेदार – महिपतराव दिनकर
- छत्तीसगढ़ में अंतिम सूबेदार – यादव राव दिवाकर
- छत्तीसगढ़ में प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक – कैप्टन एडमण्ड
- छत्तीसगढ़ में अंतिम ब्रिटिश अधीक्षक – कैप्टन क्राफर्ड
- छत्तीसगढ़ में प्रथम जिलेदार – कृष्णराव अप्पा
- छत्तीसगढ़ में अंतिम जिलेदार – गोपालराव अप्पा

Scanned with CamScanner

छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश प्रशासन

1831 (सती प्रथा उन्मूलन)

रघुजी तृतीय की मृत्यु (1853) के पश्चात् डलहौजी की हड़प नीति के तहत् **1854 में नागपुर राज्य का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में कर लिया गया।**

1855 में **अंतिम जिलेदार गोपाल राव आनंद** ने छत्तीसगढ़ का शासन ब्रिटिश प्रतिनिधि को सौंप दिया।

- **1855 से लेकर 1947 तक छत्तीसगढ़ का क्षेत्र अंग्रेजों के अधीन रहा।**
- रायपुर में **डिप्टी कमिश्नर चार्ल्स इलियट** की नियुक्ति की गयी जो नागपुर में नियुक्त कमिश्नर के अधीन कार्य करता था।

मध्य प्रांत का गठन

- 2 नवंबर 1861 को नागपुर और उसके अंतर्गत आने वाले क्षेत्र को मिलाकर मध्य प्रांत का गठन किया गया जिसमें छत्तीसगढ़ का क्षेत्र भी शामिल था।
- **1861 में ही रायपुर और बिलासपुर को जिले का दर्जा** दिया गया।
- **1862 में छत्तीसगढ़ को संभाग का दर्जा** दिया गया जिसमें रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर जिले शामिल थे।
- **गोपालराव आनंद को बिलासपुर का तथा मोबिब उल हसन को रायपुर का अतिरिक्त सहायक कमिश्नर** बनाया गया।
- 1905 में मध्य प्रांत का पुनर्गठन किया गया।
  बरार क्षेत्र मध्य प्रांत का हिस्सा बना एवं बंगाल प्रांत के सरगुजा, जशपुर, चांगभखार को मध्य प्रांत में तथा मध्य प्रांत के संबलपुर, झारसुगड़ा कालाहाण्डी को बंगाल प्रांत में शामिल कर लिया गया।

प्रशासनिक एवं न्यायिक व्यवस्था

- प्रारंभ में छत्तीसगढ़ में **3 तहसील रायपुर, धमतरी व रतनपुर** बनाये... **में धमधा** और नवागढ़ को भी तहसील का दर्जा दिया गया इसका प्रमुख तहसीलदार होता था, यह पद भारतीयों के लिए सुरक्षित था।
- **परगनों को तहसील से नीचे रखा गया** इसका प्रमुख नायब तहसीलदार...
- सहायक कमिश्नर, अतिरिक्त सहायक कमिश्नर व तहसीलदारों को... अधिकार सौंपे गये।
- 1856 से नायब तहसीलदारों का प्रमुख कार्य राजस्व वसूली करना निश्चित किया गया तथा न्यायिक अधिकारों से उन्हें वंचित कर दिया गया।

पुलिस एवं जेल व्यवस्था

- छत्तीसगढ़ में पुलिस व्यवस्था लागू करते हुए प्रत्येक जिले में पुलिस... की नियुक्ति की गयी। रायपुर में एक केन्द्रीय जेल का निर्माण किया...

राजस्व व्यवस्था

- **ताहुतदारी-** छत्तीसगढ़ में ताहुतदारी प्रथा प्रचलित थी जिसके प्रमुख... **होते थे ये न तो जमींदार होते थे न ही गौटिया।**
- ब्रिटिश काल में सम्पूर्ण क्षेत्र **खालसा** तथा **जमींदारी** क्षेत्र में विभाजित... खालसा भूमि **मालगुजार** के और जमींदारी भूमि **जमींदार** के अधीन...
- ग्राम स्तर पर **गौटिया** का पद यथावत बना रहा। अंग्रेजी प्रशासन में **गौटिया अब मालगुजार** कहलाने लगा मालगुजार की पदवी के साथ... हक प्राप्त करता था।

Scanned with CamScanner